न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः–हनुमानसिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रार्थीः–　　　　　राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः– 32/2019

1. अर्जूनराम पुत्र स्व. श्री थाना राम जाति जाट निवासी ग्राम भटिण्डा तहसील व जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. हकतुदेवी पत्नी स्व. श्री थानाराम
2. महेन्द्रराम पुत्र स्व. श्री थानाराम
3. सुमेर पुत्र स्व. श्री थानाराम जातियान जाट निवासी ग्राम भटिण्डा तहसील व जिला जोधपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

आदेश　　　　　दिनांकः– 30 दिसम्बर 2020

उपस्थितिः– श्री रूपाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी।
सरकारी पैरोकार अनु.

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भटिण्डा तहसील व जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 299 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है जो प्रार्थी व अप्रार्थी सख्या 1 से 3 की सयुक्त खातेदारी की भूमि है । उपरोक्त वर्णित खसरे की भूमि का नामान्तकरण प्रार्थी के नाम स्वीकृत करते समय उसमें प्रार्थी का लिपिकीय भूलवंश सहीराम नाम लिखा गया जबकी प्रार्थी का वास्तविक नाम अर्जूनराम है ।

प्रार्थी अपनी खातेदारी की उपरोक्त कृषि भूमि पर कृषि ऋण लेने के लिए हल्का पटवारी के पास गया । प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का जमाबंदी की नकल लेकर बैक के पास गया तो वहां प्रार्थी द्वारा जमाबंदी की नकल एवं अपने सारे पहचान सम्बन्धित दस्तावेज आदी बताये तो वहां के मैनेजर ने ऋण देने से मना कर दिया और कहा की जमाबदी में आपका नाम सहीराम लिखा हुआ है तथा राशनकार्ड , आधार कार्ड तथा गजट नोटिफिकेशन इत्यादी दस्तावेजात में आपका नाम अर्जूनराम लिखा हुआ है और कहा की राजस्व रेकर्ड में नाम संशोधन करवाने के पश्चात ही ऋण दिया जा सकता है इस कारण प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में संशोधन कराने हेतु का यह रेकर्ड दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है ।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रार्थी अर्जूनराम के राशनकार्ड , आधारकार्ड , गजट नोटिफिकेशन इत्यादी दस्तावेजात बने हुए है जिसमें प्रार्थी का नाम अर्जूनराम दर्ज है जो सरकारी दस्तावेजात आदी में प्रार्थी अर्जूनराम का नाम बदस्तुर चले आ रहे है ।

प्रार्थी का नाम सहीराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने से पूर्व किसी भी प्रकार की दस्तावेजी जांच नही की गई है अतः सारी कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व की गई है अतः बिना अधिकार के किया गया राजस्व रेकर्ड में नाम संशोधन किये जाने योग्य है ।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर गाम भटिण्डा तहसील व जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 299 कृषि भूमि की वर्तमान जमाबंदी की दुरूस्ती की जाकर प्रार्थी का नाम सहीराम की जगह अर्जूनराम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने का आदेश फरमावे। साथ अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अण्डरटेकिंग पेश की गई की सहीराम के नाम से किसी प्रकार का वाद विवाद सिविल/फौजदारी न्यायालय में विचाराधीन नही है ना ही किसी बैक से लेनदेन बकाया है ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया । तहसीलदार जोधपुर अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया गया जिसमें ग्राम भटिण्डा की वर्तमान जमांबदी के खाता सख्या 261 में खसरा नम्बर 299 रकबा 18.13 बीघा जो प्रार्थी व अप्रार्थीगण सख्या 1 से 3 की सयुक्त खातेदारी में दर्ज है । राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2059–2062 कि खाता सख्या 261 थानाराम पि. राजूराम जाति जाट के नाम दर्ज है । थानाराम के फौत होने पर जरिये नामान्तकरण सख्या 1992 विरासत का भरा गया जिसमें प्रार्थी का नाम सहीराम दर्ज है ।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में ग्राम भटिण्डा तहसील व जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 299 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा में प्रार्थी का नाम सहीराम की जगह अर्जूनराम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने का निवेदन किया गया ।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र , जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थी द्वारा की गई बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे मै इस निष्कर्ष पर पहुचा हूँ की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी का नाम ग्राम भटिण्डा की वर्तमान जमांबदी के खाता सख्या 261 में खसरा नम्बर 299 रकबा 18.13 बीघा में सहीराम उर्फ अर्जूनराम पि. स्व. श्री थानाराम दर्ज करने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिये जाते है।

हनुमानसिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (राज.)

आदेश आज दिनांक 30.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जोधपुर

Scanned with CamScanner